नियम 32 : कतिपय प्रदायों की बाबत मूल्य का अवधारण

(1) इस अध्याय के उपबंधों में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, नीचे विनिर्दिष्ट प्रदायों की बाबत मूल्य प्रदायकर्ता के विकल्प पर इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में अवधारित किया जाएगा।

(2) विदेशी मुद्रा के क्रय या विक्रय के संबंध में, जिसके अंतर्गत धन की अदला–बदली भी है,सेवाओं की प्रदाय का मूल्य सेवा के प्रदायकर्ता द्वारा निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) किसी मुद्रा के लिए जब उसे भारतीय रूपए से विनिमय किया जाता है, मूल्य, यथास्थिति, क्रय दर या विक्रय दर और उस समय उस मुद्रा के लिए भारत रिजर्व बैंक की निर्देश दर में अंतर को, मुद्रा की कुल इकाइयों का गुणा किए जाने के बराबर होगा :

परन्तु उस दशा में, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की निर्देश दर किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां मूल्य धन की अदला–बदली करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए या प्राप्त किए गए भारतीय रूपए की रकम का एक प्रतिशत होगा :

परन्तु यह और कि उस दशा में, जहां विनिमय की जाने वाली कोई भी मुद्रा भारतीय नहीं है, वहां मूल्य दोनों रकमों में से उस कम रकम के एक प्रतिशत् के बराबर होगा, जो उस दिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई निर्देश दर पर भारतीय रूपए में दोनों में से किसी मुद्रा को संपरिवर्तित करके धन की अदला–बदली करने वाला व्यक्ति प्राप्त करेगाः

परन्तु यह भी कि सेवाओं की प्रदाय करने वाला व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष के लिए खंड (ख) के निबंधनानुसार मूल्य अभिनिश्चित करने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा और ऐसा विकल्प उस वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा।

(ख) सेवाओं के प्रदायकर्ता के विकल्प पर विदेशी मुद्रा की प्रदाय के संबंध में मूल्य, जिसके अंतर्गत धन की अदला–बदली भी है, निम्नलिखित होना समझा जाएगा–

(i) दो सौ पचास रूपए की न्यूनतम रकम के अध्यधीन एक लाख रूपए तक की किसी रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा के सकल रकम का एक प्रतिशत;

(ii) एक हजार रूपए और एक लाख रूपए से अधिक और दस लाख रूपए तक की रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा की सकल रकम का आधा प्रतिशत; और

(iii) पांच हजार पांच सौ रूपए तथा छह हजार रूपए की अधिकतम रकम के अध्यधीन दस लाख रूपए से अधिक की रकम के लिए विनिमय की गई मुद्रा की सकल रकम का एक बटा दस प्रतिशत।

(3) वायुयान द्वारा यात्रा के लिए वायु यात्रा अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई टिकटों की बुकिग के संबंध में सेवाओं की प्रदाय का मूल्य घरेलू बुकिंग की दशा में, आधार किराए के पांच प्रतिशत की दर से संगणित रकम समझी जाएगी और वायुयान से यात्रा के लिए यात्री की अंतरराष्ट्रीय बुकिंग की दशा में आधार किराए के दस प्रतिशत की दर से संगणित रकम समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण-इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए ''आधार किराया'' से वायुयान के किराए का वह भाग अभिप्रेत है, जिस पर एयरलाइन द्वारा वायु यात्रा अभिकर्ता को कमीशन सामान्यतया संदत्त किया जाता है।

(4) जीवन बीमा कारबार के संबंध में सेवाओं की प्रदाय का मूल्य निम्नलिखित होगा,–

((क) किसी पोलिसी धारक से प्रभारित सकल प्रीमियम, जिसमें से विनिधान के लिए आबंटित रकम को घटा दिया जाएगा, होगा या पोलिसी धारक की ओर से बचत होगा, यदि ऐसी रकम की सूचना सेवा की प्रदाय के समय पोलिसी धारक को दे दी गई है;

(ख) खंड (क) से भिन्न एकल प्रीमीयम वार्षिक पोलिसियों की दशा में, पोलिसी धारक से प्रभारित एकल प्रीमियम का दस प्रतिशत; या

(ग) अन्य सभी मामलों में पहले वर्ष में पोलिसी धारक से प्रभारित प्रीमियम का पच्चीस प्रतिशत और पश्चातवर्ती वर्षों में पोलिसी धारक से प्रभारित प्रीमियम का साढ़े बारह प्रतिशत :

परन्तु इस नियम की कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां पोलिसी धारक द्वारा संदत्त संपूर्ण प्रीमियम केवल जीवन बीमा की जोखिम को समाविष्ट करने के लेखे है।

(5) जहां पुराने माल या उपयोग किए गए माल को उस रूप में या ऐसे मामूली प्रसंस्करण के पश्चात्, जिससे माल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रय करने या विक्रय करने में लगे किसी व्यक्ति द्वारा कोई कराधेय प्रदाय उपलब्ध कराई जाती है और जहां ऐसे माल के क्रय पर कोई इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त नहीं किया गया है, वहां प्रदाय का मूल्य विक्रय कीमत और क्रय कीमत के बीच का अंतर होगा और जहां ऐसी प्रदाय का मूल्य नकारात्मक है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा :

परन्तु व्यतिक्रमी उधार लेने वाले से, जो उधार या ऋण की वसूली के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पुनः कब्जे में लिए गए माल का क्रय मूल्य व्यतिक्रमी उधार लेने वाले द्वारा ऐसे माल की क्रय कीमत में क्रय की तारीख और ऐसा पुनः कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्ययन की तारीख के बीच प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत घटाकर समझा जाएगा।

(6) किसी टोकन या वाउचर या कूपन या स्टांप (डाक स्टांप से भिन्न), जो माल या सेवा या दोनों के विरू) मोचनीय है, का मूल्य ऐसे टोकन, वाउचर, कूपन या स्टांप के विरूद्ध मोचनीय माल या सेवा या दोनों के धनीय मूल्य के बराबर होगा। (7)
सेवा प्रदाता के ऐसे वर्ग द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय ऐसी सेवाओं का मूल्य, जो धारा 25 में यथानिर्दिष्ट विभिन्न व्यक्तियों के बीच अनुसूची 1 के पैरा 2 में यथानिर्दिष्ट परिषद् की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, जहां इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध है, शून्य समझा जाएगा।